वैयक्तिक खाता खुलवाने का प्रपत्र (भाग II)
(बचत खाता, चालू खाता और मीयादी जमा)

इंडियन बैंक Indian Bank
इलाहाबाद ALLAHABAD

एस्टरिक (*) द्वारा चिन्हित स्थान को भरा जाना अनिवार्य है । यदि आप विवरण अंग्रेजी में भरते हैं तो कृपया बड़े अक्षरों का प्रयोग करें और हस्ताक्षर के लिए काली स्याही वाले पेन का ही प्रयोग करें ।

तिथि ☐☐☐☐☐☐☐☐

कार्यालय उपयोग के लिए

प्रथम आवेदक का ग्राहक आई डी	☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐	**शाखा द्वारा नाम और कोड वाले रबर की मुहर लगाया जाए**
द्वितीय आवेदक का ग्राहक आई डी	☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐	
खाता संख्या	☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐	

मैं/ हम निम्नांकित प्रकार का जमा खाता खोलने हेतु बैंक से आग्रह करता हूँ/ करते हैं। कृपया उचित खाता के सामने टिक(✓) लगाएं।

1. खाता के प्रकार

☐ बचत बैंक खाता ☐ बीएसबीडीए ☐ बीएसबीडीए लघु खाता ☐ चालू खाता ☐ मीयादी जमा/ एम.ओ.डी./ आवर्ती जमा ☐ पूंजी लाभ (बचत खाता)

2. परिचालन का प्रणाली

☐ स्वयं ☐ दोनों में से कोई एक या उत्तरजीवी ☐ पूर्वजीवी या उत्तरजीवी ☐ कोई एक या उत्तरजीवी ☐ संयुक्त परिचालन ☐ अन्य_____

3 सेवाएं चाहिए

1.एटीएम सह डेबिट कार्ड — **कार्ड पर अंकित किया जानेवाला नाम**

प्रथम आवेदक	☐ **हाँ**	☐ **नहीं**	☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐
द्वितीय आवेदक	☐ **हाँ**	☐ **नहीं**	☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

(2 से 8 तक की सेवाओं के लिए मोबाइल नं देना अनिवार्य है)

2. चेक बुक ☐ हाँ ☐ नहीं
(केवल नियमित बचत खाताधारक/चालू खाताधारक/पूंजी लाभ(बचत खाता)हेतु)
(नियमित बीएसबीडी/लघु खाता धारकों के लिए उपलब्ध नहीं)

3.इंटरनेट बैंकिंग की आवश्यकता है *
लेन-देन का अधिकार

प्रथम आवेदक	☐ हाँ	☐ नहीं
द्वितीय आवेदक	☐ हाँ	☐ नहीं

4.एसएमएस अलर्ट (शुल्क लागू) एसएमएस अलर्ट सेवा केवल पंजीकृत मोबाइल हेतु	☐ हाँ	☐ नहीं
5. फोन बैंकिंग सेवाएं	☐ हाँ	☐ नहीं
6. मोबाइल बैंकिंग	☐ हाँ	☐ नहीं
7.पासबुक की आवश्यकता (बचत खातों हेतु)	☐ हाँ	☐ नहीं
8. ई-विवरणी (मासिक अन्तराल पर), पेपर प्रति की जगह	☐ आवश्यक	☐ आवश्यक नहीं

*(केवल एकल परिचालित खातों और दोनों में से कोई एक या उत्तरजीवी के रूप में परिचालित संयुक्त खातों के लिए उपलब्ध है। पूर्वजीवी या उत्तरजीवी के मामलें में इंटरनेट बैंकिंग सुविधा केवल प्रथम आवेदक को उपलब्ध है)

4.सावधि जमा : निम्नांकित उत्पादों/ सुविधाओं के लिए, कृपया विकल्प/ विवरण दें ।

☐ सावधि जमा ☐ सावधि जमा (पुनर्निवेश योजना) ☐ वार्षिकी जमा ☐ कर बचत योजना ☐ पूंजी लाभ (टीडीआर)

राशि :	रु.	रु. (शब्दों में)	**निरक्षर जमाकर्ता के मामले में जमाकर्ता का नाम, राशि और जमा अवधि का प्रमाणीकरण नकदी अधिकारी द्वारा किए जाएंगे** — **नकदी अधिकारी का अद्याक्षर**
अवधि	....वर्ष	.....माह .....दिन	

सावधि जमा के संबंध में, ब्याज देय ☐ मासिक ☐ तिमाही ☐ केलेन्डर तिमाही ☐ छमाही ☐ वार्षिक

परिपक्वता निर्देश ☐ मूलधन का स्वतः नवीनीकरण और ब्याज का भुगतान ☐ मूलधन और ब्याज का स्वतः नवीनीकरण* ☐ मूलधन और ब्याज का भुगतान ☐ आंशिक राशि रु..... का स्वतः नवीनीकरण

*(नवीनीकरण की तिथि पर लागू ब्याज दर पर सामान अवधि के लिए स्वतः नवीनीकरण किया जाएगा)

भुगतान निर्देश (परिपक्वता प्राप्ति /अवशिष्ट राशि) :

☐ मेरे बैंक खाते में जमा करें ☐ बैंकर्स चेक/ड्राफ्ट जारी करें
फार्म 15एच/जी ☐ हाँ ☐ नहीं (लागू होने पर शाखा द्वारा अलग से जमा लिया जाएगा)

5. बहु विकल्पी जमा योजना/ऑटो स्वीप

जमा के प्रकार ☐ मीयादी जमा ☐ मीयादी जमा (पुनर्निवेश) जमा की अवधि ....वर्ष .....माह

मैं/ हम एतदद्वारा बचत खाते और चालू खाते पर लागू सेवा शुल्क की वसूली करने हेतु मेरे/ हमारे खाते को डेबिट करने की अपनी सहमति प्रदान करता हूँ/ करते हैं।

मैं/ हम एतद द्वारा नियम और शर्तों के अनुसार मेरे/ हमारे खाते को डेबिट कर बहू विकल्पी जमा/ ऑटो स्वीप बनाने पर अपनी सहमति प्रदान करता हूँ/ करते हैं।

लिंक किए गए बचत खाता संख्या / चालू खाता संख्या ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

रिवर्स स्वीप सुविधा के तहत बहु विकल्पी जमा सुविधा को बंद करने के लिए बहु विकल्पी जमा को बंद किया जाए: ☐ अंत में आए पहले पाए ☐ पहले आए पहले पाए

(आवेदक द्वारा किसी भी विकल्प को न चुने जाने की स्थिति में, अंतिम आने वाला सबसे पहले को डिफाल्ट विकल्प माना जायेगा)

6. आवर्ती जमा फ्लेक्सी जमा

☐ मासिक/कोर मासिक किस्त रु. ..... रु.(शब्दों में)..... अवधि ....वर्ष .....माह

☐ स्थायी अधिदेश (यदि कोई है) डेबिट खाता संख्या ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐ परिपक्वता पर, प्राप्ति को निम्न खाता में जमा करें ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐ बैंकर्स चेक/ड्राफ्ट जारी करें / _____ अवधि हेतु एसटीडीआर जारी करें

उपर्युक्त मीयादी जमा के लिए लागू टीडीएस काटने हेतु (बचत खाता/ चालू खाता संख्या) ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

7.नामांकन (यदि आवश्यकता हो तो प्रपत्र डीए-1 भरें)

प्रपत्र डीए-1 (नामांकन प्रपत्र)

नामांकन का विवरण : पंजीकरण संख्या ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

बैंक जमाओं के सम्बन्ध में बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 45जेडए और नियम 1985 के अंतर्गत नामांकन

मैं/ हम _____ व्यक्ति को नामांकित करते है जिसे मेरी/ अवयस्क की मृत्यु की स्थिति में, जमा की धनराशि, निम्नलिखित दिए गए ब्यौरे के अनुसार इंडियन बैंक..... .....(शाखा का नाम एवं पता/कार्यालय जिसमें जमा है) द्वारा भुगतान किया जा सकता है

☐ मैं/हम चाहते हैं कि ..... नामांकित व्यक्ति का नाम पासबुक पर मुद्रित किया जाए

जमा का विवरण
जमा का प्रकार _____ खाता संख्या ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

नामांकित व्यक्ति का विवरण

नाम ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐		
जमाकर्ता से संबंध	आयु .....वर्ष	नामांकित व्यक्ति का मोबाइल नं. ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐
नामांकित व्यक्ति की जन्म तिथि (अवयस्क के मामले में) ☐☐☐☐☐☐☐☐		

चूँकि, नामांकित व्यक्ति इस तिथि को अवयस्क है, मैं श्री/श्रीमति/कुमार/कुमारी ..... आयु .....वर्ष

पता ..... को अवयस्कता की स्थिति में मेरे/अवयस्क की मृत्यु होने पर जमा धनराशि को प्राप्त करने हेतु नियुक्त करता हूँ।

(आवेदक के हस्ताक्षर/आवेदक के अंगूठे का निशान)	(आवेदक के हस्ताक्षर/आवेदक के अंगूठे का निशान)
प्रथम साक्षी के हस्ताक्षर नाम हस्ताक्षर पता	द्वितीय साक्षी के हस्ताक्षर नाम हस्ताक्षर पता

(साक्षी तभी आवश्यक है जब आवेदक निरक्षर हो और उसने अंगूठे का निशान लगाया हो)

☐ मैं/हम इस खाते में किसी भी व्यक्ति को नामित नहीं करना चाहते हैं।

तिथि ☐☐☐☐☐☐☐☐
स्थान

(आवेदक के हस्ताक्षर/आवेदक के अंगूठे का निशान)	(आवेदक के हस्ताक्षर/आवेदक के अंगूठे का निशान)

8. घोषणा सह वचनपत्र सह स्वयं प्रमाणन

1. मुझे/हमें खाता खोलने के लिए दी गई सभी नियम एवं शर्तें मैंने/ हमने पढ़ ली है। मुझे/ हमें सभी नियम एवं शर्तों को बताया गया है और मैंने/ हमने सभी नियम व शर्तें समझ ली है और मैं/ हम सभी नियम एवं शर्तों से सहमत हूँ।

2. (अवयस्क खाते की स्थिति में)
मैं घोषणा करता हूँ कि अवयस्क की जन्मतिथि _____ हैं, जिससे मेरा _____ सम्बन्ध है और मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि मैं ही अवयस्क का नैसर्गिक संरक्षक/ न्यायालय के आदेश संख्या _____ (प्रति संलग्न) द्वारा नियुक्त संरक्षक हूँ। मैं कथित अवयस्क के वयस्क होने तक उपर्युक्त जमा खाते में भविष्य में होने वाले किसी भी तरह के लेन-देनों में कथित अवयस्क का प्रतिनिधित्व करूँगा। मैं उपर्युक्त अवयस्क के खाते में अपने द्वारा किये गए किसी भी आहरण/ लेनदेन के लिए अवयस्क के दावे के सापेक्ष बैंक की क्षतिपूर्ति करूँगा।

3. सावधि जमा खाता हेतु लागू (आवश्यक नहीं होने पर काट दें)

मैं/ हम संयुक्त जमाकर्ताओं में से किसी अन्य जमाकर्ता(ओं) की मृत्यु हो जाने पर बैंक को सावधि जमाराशि परिपक्वता की तारीख से पहले जीवित बचे संयुक्त जमाकर्ता(ओं) को आहरित करने (निकालने की अनुमति देता हूँ/ देते हैं और बैंक जीवित बचे जमाकर्ताओं द्वारा सावधि जमाराशियाँ दिवंगत संयुक्त जमाकर्ता(ओं) के वैध उत्तराधिकारियों की सहमति लिए बिना परिपक्वता की तारीख से पहले निकालने की अनुमति दे सकता है।

4. मैं एतदद्वारा घोषणा करता/ करती हूँ कि मेरा किसी अन्य बैंक में बेसिक बचत बैंक जमा खाता नहीं है (बीएसबीडी खाता के मामले में लागू)

स्थान : तिथि :	(आवेदक के हस्ताक्षर/आवेदक के अंगूठे का निशान)	(आवेदक के हस्ताक्षर/आवेदक के अंगूठे का निशान)

केवल कार्यालय उपयोग हेतु/ अनुप्रमाणन

				क्यू नं.	अद्याक्षर
खाता खोलने की तिथि ☐☐☐☐☐☐☐☐		(प्राधिकृत हस्ताक्षरी)	खाता		
i. इंटरनेट बैंकिंग किट संख्या	.....		सीआईएफ लिंकिंग		
ii. इंटरनेट बैंकिंग देखने का अधिकार ☐	लेनदेन का अधिकार ☐		वैयक्तिक विवरण युक्त चेक		
दिये गए			रिटेल इंटरनेट बैंकिंग		
iii. एटीएम कार्ड भेजने की तिथि			एमबीएस		
iv. नामांकन क्रम संख्या ☐☐☐☐☐☐☐☐			एसएमएस अलर्ट		
v. थ्रेशहोल्ड (केवाईसी) सीमा ☐☐☐☐☐☐☐☐			प्रविष्टि हटाना		
vi. फ़ोन बैंकिंग ☐☐☐☐☐☐☐☐			स्कैनिंग		

बचत खाता खोलने हेतु नियम एवं शर्तें

1. मैं पुष्टि करता/करती हूँ और यह घोषणा करता/करती हूँ कि मैंने बैंक के सभी नियम एवं अधिनियम और बैंक द्वारा दी जाने वाली उन सभी सेवाओं को जिसमें डेबिट कार्ड/ इन्टरनेट बैंकिंग/ एसएमएस बैंकिंग/ टेली-बैंकिंग/ मोबाइल बैंकिंग/ वर्चुअल बैंकिंग शामिल है और बैंक द्वारा दी जाने वाली कोई और अन्य सुविधा को पूर्णतः पढ़ लिया है और अच्छी तरह समझ लिया है। बैंक/ नियामक/ सरकार द्वारा समय- समय पर परिपत्र, अधिसूचना, नोटिस बोर्ड/ वेबसाइट/ समाचार पत्र आदि के माध्यम से प्रकाशित होने वाले संशोधनों/ परिवर्तनों के अनुपालन हेतु भी अपनी सहमति प्रदान करता/करती हूँ। मैं इस प्रकार के संशोधनों/ परिवर्तनों के संबंध में, व्यक्तिगत सूचना प्राप्त करने के अधिकार से इन्कार करता/करती हूँ। मैं सहमत हूँ कि मेरे यूजर आईडी और पासवर्ड/ पिन/ ओटीपी से इन्टरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, टेली बैंकिंग और वर्चुअल बैंकिंग द्वारा मेरे खाते से किसी भी प्रकार के लेन-देन के लिए कानूनी तौर पर मैं स्वयं बाध्यकर हूँ और प्रमाणीकरण और अन्य सूचना/ विवरण/ ओटीपी/ पिन आदि की गोपनीयता को बनाए रखने हेतु स्वयं जिम्मेदार हूँ। मैं, अपनी सहमति देता/देती हूँ कि बैंक के पास किसी भी प्रकार के सेवा शुल्क, खर्चे या अन्य देय राशि जो बैंक मुझसे वसूलने का हकदार है, मेरे खाते से नामे करने के सभी अधिकार सुरक्षित है। मैं बैंक को मुझे बिना कोई सूचना दिए मेरे खाता बंद करने का अधिकार देता हूँ। मैं वचन देता/देती हूँ कि मेरे पत्राचार के पते या संगठन में हुए किसी परिवर्तन की सूचना बैंक को दूंगा/दूंगी।
2. आधार कार्ड विवरण द्वारा खाता खोलने के संबंध में, मैं घोषणा करता हूँ कि मैं अपनी पहचान/ पते हेतु स्वेच्छापूर्वक यूआईडीएआई द्वारा जारी आधार कार्ड पीएमएलए, 2002 के अंतर्गत केवाईसी के अनुपालन हेतु जमा करूंगा/करूंगी। मैं, बैंक द्वारा युआईडीएआई से आधार का सत्यापन करवाने हेतु सहमति देता/देती हूँ और यूआईडीएआई को प्राधिकृत करता हूँ कि बैंक को स्पष्ट रूप से मेरी पहचान और पता बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण द्वारा उपलब्ध कराएँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे खाते को एनपीसीआई मैपर से जोड़ा जाए जिससे मुझे प्रत्यक्ष लाभ अंतरण जिसमें भारत सरकार द्वारा मिलने वाला एलपीजी अनुदान भी शामिल है, मिल सकें। मैं समझता हूँ कि यदि मुझे एक से अधिक लाभ अंतरण प्राप्त होता है तो मुझे सभी लाभ अंतरण इसी खाते में दिया जाए।
3. मैं पुष्टि करता/करती हूँ और यह घोषणा करता/करती हूँ कि मुझे खाता खोलने एवं उसे बनाए रखने हेतु किसी भी लागू विधिक/ विनियामक/ अनुबंध या अन्य प्रावधानों या बैंक के साथ लेन-देन करने से प्रतिबंधित नहीं किया गया है।
4. मैं सहमत हूँ कि मेरे निजी केवाईसी विवरण को सेन्ट्रल केवाईसी रजिस्टरी या अन्य सक्षम प्राधिकारी से साझा किया जा सकता है। मैं स्वीकार करता/करती हूँ कि बैंक/ सेन्ट्रल केवाईसी रजिस्टरी/ जीओआई/ आरबीआई या अन्य किसी और संस्था से किसी भी प्रकार की सूचना मुझे मोबाइल/ ईमेल द्वारा दे सकते हैं। मैं सहमत हूँ कि यदि इस प्रकार का एसएमएस/ ईमेल न प्राप्त होने से बैंक को किसी भी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचेगी।
5. मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि मैंने अपना स्टेटस मामले में किसी भी बाद के संशोधन सहित, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड में अधिसूचित अधिसूचना संख्या-S.O.2155(E) दिनांक 07 अगस्त 2015 और भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र सन्दर्भ संख्या-DBR.AML.BC.NO.36/14.01.001/2015-16 दिनांक 28 अगस्त 2015 के आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 285बीए में उपलब्ध नियम के अनुसार दिया है।
6. मैं समझता/समझती हूँ,स्वीकार करता/करती हूँ और प्राधिकृत करता/करती हूँ कि आयकर अधिनियम के प्रावधानों और उनके अंतर्गत बनाए गए नियमों तथा सरकार/आरबीआई द्वाराइस मामले में जारी दिशानिर्देशों के अनुसार आवासीय स्थिति और अथवा उसके तहत निर्धारित अन्य मापदंडों के आधार पर बैंक को केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) अथवा अन्य सरकारी एजेंसियों को निर्धारित प्रारूप के अनुसार मेरे खाते (तों) का ब्योरा विदेशी लेखा कर अनुपालन अधिनियम (एफएटीसीए) और सामान्य रिपोर्टिंग मानकों (सीआरएस) और या किसी अन्य व्यवस्थाओं के सम्बन्ध में इंटर गवर्नमेंट एग्रीमेंट्स (आईजीए) के अनुसार दात्यित्वों का पालन करना होगा।

7. मैं यह प्रमाणित और घोषित करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा ऋण खाता खोलने और यहां अन्य सेवाएं प्राप्त करने या वेबसाइट के माध्यम से/ इलेक्ट्रानिक रूप में जो मुझपर लागू है/हैं ऋण खाता खोलने और अन्य सेवाएं प्राप्त करने के लिए मेरे द्वारा प्रदान की गई जानकारी,जिस पर मैंने हस्ताक्षर किए है/जिसे मैंने अधिप्रमाणित किया है मेरी सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य,सही और पूर्ण है और मैंने ऐसी किसी भी सामग्री की जानकारी को वापिस नही लिया है,जो मेरे खाते के आकलन/वर्गीकरण को यूएस रिपोर्टेबल खाता या अन्यथा के रूप में प्रभावित कर सकती है। यदि मेरे द्वारा प्रदान की गई कोई भी जानकारी या विवरण गलत या असत्य या भ्रामक या गलत बयानी करने वाला पाया जाता है। मुझे पता लगा है कि मुझे इसके लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकता है।

8. मैं तत्काल घोषित करने और प्रकट करने की जिम्मेदारी लेता हूँ और परिवर्तन की तारीख 30 दिनों से परे किसी भी मामले में, यहाँ प्रदान की गई जानकारी में कोई बदलाव नहीं किया जा सकता है या अन्यथा साथ ही मेरे द्वारा प्रदान किये गए दस्तावजी साक्ष्य में या यदि कोई हो प्रमाणीकरण गलत हो जाता है या परिवर्तन से गुजरता है तो मैं आगे और जब आवश्यक हो तो दस्तावेजी साक्ष्य के साथ-साथ नए और वैध स्व-प्रमाणन प्रदान करने का कार्य करता हूँ फिर भी यहाँ दी गई सभी घोषणाएं और उपक्रम मेरे द्वारा प्रदान किए गए ऐसे सभी संशोधन/ संशोधित दस्तावेज/सूचनाओं पर लागू होंगे जब तक कि उपरोक्त स्व-प्रमाणीकरण बैंक को प्रदान नहीं किया जाता है।

9. मैं इस बात से भी सहमत हूँ कि किसी भी भौतिक तथ्य/जानकारी का खुलासा करने में मेरी विफलता अभी या भविष्य में या मेरी विफलता के लिए निर्धारित अवधि के भीतर दस्तावेजों / सूचनाओं या अन्य विवरणों में किसी भी कमी की मापने के लिए,मुझे खाते और बैंक में लेन-देन से अमान्य कर सकती हैं। उक्त उद्देश्य के लिए भारत सरकार (जीओआई)/आरबीआई द्वारा निर्दिष्ट किसी भी नियामक और/या किसी भी प्राधिकारी को रिपोर्ट करने या मेरे खाते के संचालन में प्रतिबन्ध लगाना उसके अधिकार के भीतर होगा। सीबीडीटी/आरबीआई/जीओआई द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों के तहत बैंक द्वारा उचित समझा जाएगा।

10. मैं बैंक को किसी भी अन्य ब्योरे को प्रस्तुत करने और साझा करने के लिए सहमत हूँ,जो मुझे ऊपर या अन्य मामले में भारत में या विदेशों में किसी कानून में किसी भी बदलाव के लिए प्रदान करने के लिए कहा जाता है।

11. मैं किसी भी नुकसान / क्षति से बैंक को क्षतिपूर्ति नहीं होने दूंगा जो मेरे द्वारा प्रदान किया गए विवरण में या मेरे द्वारा गलत या अधूरी जानकारी प्रदान करने के कारण किसी भी दोष / गलती के कारण हो सकता है।

12. मैं समय-समय पर केवाईसी विवरणों के अद्यतन के लिए नए केवाईसी दस्तावेजों के साथ डेटा / जानकारी एक साथ प्रस्तुत करने के लिए सहमत हूँ,जो कि बैंक द्वारा आवश्यक है।

13. मैं समझता हूँ कि बैंक द्वारा केवाईसी से सम्बंधित ग्राहक देय परिश्रम पूरा करने के बाद ही खाते को सक्रिय किया जाएगा और डेबिट की अनुमति दी जाएगी।

14. यदि खाता पैन के बिना खोला जाता है,तो मैं भारत सरकार द्वारा अधिसूचित की गई तारीख से पहले या उससे पहले पैन जमा करने के लिए प्रतिबद्ध हूँ,यह विफल होने पर कि जब तक पैन को जमा नहीं किया जाता है,तब तक खाता चालू नहीं होगा। (नियम 2005)

15. यदि खाता खोलने के समय पते के लिए ओवीडी को प्रस्तुत किया जाता है,तो मैं खाता खोलने की तिथि से 3 महीने के भीतर आधार या किसी भी ऐसे ओवीडी के चालू पते को प्रस्तुत करने का वचन देता हुँ,जिसे मैं समझता हूँ कि मेरा खाता बंद हो सकता है साथ ही समय पर भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार कार्य करूंगा।

16. मुझे आईएनबी किट और एटीएम कार्ड/ चेक बुक वाले वेलकम किट मिलें हैं और यह समझा जाता है कि किट की सामग्री के किसी भी दुरूपयोग के मामले में,बैंक किसी भी नुकसान की क्षति के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

17. मैं इस बात को प्रमाणित करता हूँ कि बचत बैंक खाते का उपयोग मेरे द्वारा किए गए गैर-व्यावसायिक/ गैर- वाणिज्यिक प्रकृति के लेनदेन को करने के लिए किया जाएगा।

18. खाता खोलने के लिए मुझे औसत मासिक बैलेंस (एएमबी) की आवश्यकता की सलाह दी गई है और यह समझने के लिए किया है और ऐसे संशोधन/ परिवर्तन बैंक की साइट में अपलोड किए जाएंगे जो मुझे स्वीकार्य होंगे और उस प्रभाव से सूचना लागू होंगे।

19. मैं पुष्टि करता हूँ कि बीएसबीडी खाते की उत्पाद विशेषताएं मुझे बताई गई हैं (बीएसबीडी खाता आवेदक के लिए लागू है)।

20. मैं बचत बैंक खाते के नियमों और विनियमों की प्राप्ति स्वीकार करता हूँ।

21. मुझे सलाह दी गई है कि यदि मैं अपना मोबाइल नंबर प्रदान नहीं करता हूँ,तो मैं एटीएम कैश निकासी के अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स लेनदेन की किसी भी सुविधा के लिए पात्र नहीं हूँ।

22. (समाज कल्याण लाभ के क्रेडिट के लिए खोले गए खातों के लिए लागू) मैं समझता हूँ कि ये खाता बीएसबीडी श्रेणी के तहत खोला जाएगा। मैं यह भी समझता हूँ कि यदि मैं इस बीएसबीडी खाते को जारी नहीं रखना चाहता और नियमित बचत में स्विच करना चाहता हूँ तो मुझे नियमित बचत बैंक खाते के लिए लागू औसत मासिक शेष राशि (एएमबी) को बनाए रखना होगा। यदि में बीएसबीडी से नियमित बचत बैंक खाते में स्विच करता हूँ तो मैं खाते में एएमबी बनाए रखने का वचन देता हूँ।

23. (नाबालिगों के नाम से खोले गए खातों के लिए लागू) मैं समझता हूँ कि औसत मासिक शेष (एएमबी) और गैर - रखरखाव के लिए दंड लिया जाएग। यह मैजोरिटी प्राप्त करने की तारीख से औसत मासिक शेष (एएमबी) बनाए रखने पर नहीं लागू होगी।

24. मैं इस बात की घोषणा करता हूँ कि ऊपर प्रस्तुत विवरण मेरे ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही और सत्य है और मैं आपको इसमें किसी भी बदलाव के बारे में सूचित करने का प्रयास करूंगा, यदि उपरोक्त जानकारी में से कोई भी सूचना गलत या भ्रामक पाया जाता है तो मैं इसके लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकता है।

25. हम इस बात की पुष्टि करते हैं कि खाता की उत्पाद विशेषताएं मुझे बताई गई।

दिशानिर्देश - अपने ग्राहक को जानिए: खाता खोलने की आवश्यकताओं को पूरा करने वाला कोई भी व्यक्ति निर्धारित नियमों का पालन करने के लिए सहमत हो सकता है, बचत बैंक खाता खोल सकता है, बशर्ते कि वह बैंक द्वारा आवश्यक पहचान और पते के प्रमाण प्रस्तुत करता हो।

हस्ताक्षर: .....

बीएसडी खाते की विशेषताएँ

i नकदी जमा बैंक शाखा के साथ साथ एटीएम / सीडीएम मशीनों में की जा सकती है।

ii किसी इलेक्ट्रॉनिक चैनल या केन्द्र /राज्य सरकार की एजेंसियों और विभागों के चेको द्वारा जमा की गई / उगाही गई राशि की रसीद /जमा दी जाएगी।

iii महीने में राशि कितनी भी बार और कितने भी मूल्य के लिए जमा की जा सकती है।

iv न्यूनतम आहरण एटीएम आहरण सहित

v एटीएम कार्ड या एटीएम सह डेबिट कार्ड

बचत बैंक खाता संबंधी नियम (संक्षिप्त)

बचत बैंक खातों पर नामांकन की सुविधा उपलब्ध है और खाताधारकों को सलाह दी जाती है कि वे विषम परिस्थितियों में कानूनी उत्तराधिकारियों द्वारा दावे के सुचारू निपटान के लिए इस सुविधा का लाभ उठाएं। नामांकन केवल एक उम्मीदवार के पक्ष में किया जा सकता है। यदि वे नामांकन नहीं करना चाहते हैं तो यह तथ्य उनके पूर्ण हस्ताक्षर के साथ खाता खोलने के फॉर्म पर दर्ज किया जाना चाहिए। ऐसी परिस्थिति में,उत्तरजीविता लाभ के साथ संयुक्त खाता उत्तरजीवी द्वारा संचालित किया जा सकता है।

खातों के प्रकार,शेष संबंधी शर्त और सेवा प्रभार

आवेदक चेकबुक सुविधा के साथ या चेकबुक के बिना भी खाता खोल सकते हैं। एसबी खातों के लिए निर्धारित वर्तमान मासिक औसत शेष और न्यूनतम शेष नही रखने पर निर्धारित प्रभार, बैंक की वेबसाईट और संपर्क केंद्र पर उपलब्ध है। जानकारी शाखा से भी प्राप्त की जा सकती है। बचत बैंक खाता में अधिकतम बैलेंस की कोई सीमा नहीं है, सिवाय अवयस्क खाते के ।

अवयस्क खाता

अवयस्क जो एक समान हस्ताक्षर रख सकते हैं और दस वर्ष से कम उम्र के नहीं हैं, वे अपने एकल नाम से खाते खोल सकते हैं और इसमें अधिकतम 40,00,000 /- रूपए रख सकते है। अवयस्क अपने अभिभावकों के साथ संयुक्त खाते भी खोल सकते हैं।

खाता कैसे खोलें?

सामान्यतया, आवेदक(कों) को खाता खोलने की औपचारिकता पूरी करने के लिए व्यक्तिगत रूप से बैंक में उपस्थित होना चाहिए। वे निर्धारित आवेदन पत्र विधिवत भरेंगे और हस्ताक्षर करेंगे। आवेदक(कों) को, आरबीआई /सीबीडीटी के लिए लागू केवाईसी दस्तावेज घोषणा और अपनी हाल ही में ली गई पासपोर्ट आकार की तस्वीरों की दो प्रतियां प्रस्तुत करनी चाहिए। आवेदक खाता खोलने के लिए ऑनलाइन भी आवेदन कर सकते हैं। खाताधारकों के हस्ताक्षर सुपाठ्य और सुव्यवस्थित होने चाहिए। हस्ताक्षर केपिटल या ब्लॉक अक्षरों में नहीं होने चाहिए। प्रत्येक खाते को एक विशिष्ट खाता संख्या दी जायेगी। बैंक के साथ व्यवहार करते समय खाताधारक द्वारा उद्धृत की जानी चाहिए। खाताधारकों को उनके हित में,खातों के संचालन के दौरान और बैंक के साथ किसी भी प्रकार के पत्राचार करते समय, बैंक में दर्ज किए गए नमूने हस्ताक्षर की एकरूपता का पालन करने की अपेक्षा की जाती है।

पासबुक

खाताधारक को प्रदान की गई पासबुक और चेकबुक को सुरक्षित रखा जाना चाहिए। इस सम्बन्ध में खाताधारकों की उपेक्षा के कारण बैंक किसी भी नुकसान या गलत भुगतान के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। आहरण फॉर्म के माध्यम से नकदी निकालने के

लिए पासबुक प्रस्तुत की जानी चाहिए। पासबुक के बिना चेक फॉर्म और डेबिट कार्ड का उपयोग करके निकासी को प्रभावित किया जा सकता है। पासबुक के बिना भी राशि जमा की जा सकती है। पासबुक को नियमित रूप से अपडेट किया जाना चाहिए। लेन-देन पूरा होने के तुरंत बाद पासबुक खाताधारक को वापस कर दी जाएगी। यदि एक सप्ताह के भीतर यह प्राप्त नही होती है तो यह उनकी लागत पर पंजीकृत पावती पोस्ट / कुरियर द्वारा उन्हें वापस कर दिया जाएगा।

खाताधारकों को अपनी पासबुक में प्रविष्टियों की सावधानीपूर्वक जांच करनी चाहिए और त्रुटियों या चूक, यदि कोई हो तो उन पर बैंकों का ध्यान आकर्षित करना चाहिए।

खोने या कटे-फटे होने की स्थिति में डूप्लिकेट पासबुक, आवश्यक पूछताछ,औपचारिकताओं को पूरा करने और निधारित शुल्क प्राप्त होने के बाद, खाताधारक से लिखित अनुरोध प्राप्त होने पर जारी किया जा सकता है। इसके लिए निर्धारित शुल्क बैंक की वेबसाईट और संपर्क केंद्र पर उपलब्ध है । यह जानकारी शाखाओं से भी प्राप्त की जा सकती है।

चेकबुक

बैंक, खाता खोलने के सम्बन्ध में सभी औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद पहली चेकबुक जारी करेगा। बैंक, लागू शुल्कों की वसूली के बाद चेक बुक जारी करेगा। इसके लिए निर्धारित वर्तमान शुल्क बैंक की वेबसाइट और संपर्क केंद्र पर उपलब्ध है। यह जानकारी शाखाओं से भी प्राप्त की जा सकती है।

खाताधारकों को बैंक द्वारा उनको जारी चेकबुक से ही चेक का उपयोग करना चाहिए। अन्यथा, बैंक के पास किसी भी आहरित चेक के भुगतान से इंकार करने का अधिकार है। आमतौर पर, बैंक एक बार में या पहले जारी किये गए सभी या लगभग सभी चेक पन्नों के समाप्त होने से पहले एक से अधिक चेक बुक जारी नहीं करेगा। चेक स्पष्ट रूप से लिखे होने चाहिए। जारी किये गए चेक या खो जाने के सम्बन्ध में, भुगतान के निर्देशों को रोकने के लिए, एक निर्धारित सेवा शुल्क के भुगतान करने पर, बैंक के साथ पंजीकृत किया जा सकता है। इसके लिए निर्धारित वर्तमान शुल्क बैंक की वेबसाइट पर उपलब्धहै। यह जानकारी शाखाओं से भी प्राप्त की जा सकती है।

सामान्य

बचत बैंक खाता मूलतः बचत राशि को जमा करने की सुविधा है और इसलिए इसे चालू खाते के रूप में उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। बैंक खाता बंद कर सकता है, यदि खाताधारक ने अपने खाते का उपयोग किसी ऐसे उद्देश्य के लिए किया है जिसके लिए उसे अनुमति नहीं है।

जमा

केवल खाताधारक के पक्ष में आहरित चेक, ड्राफ्ट या अन्य लिखतें, खाते में जमा करने के लिए स्वीकार किए जाएंगे। खाताधारक के पक्ष में पृष्ठांकित तृतीय पक्ष लिखतों को स्वीकार नहीं किया जाएगा। स्वीकृत लिखतों पर आहरण तब तक सामान्यतया स्वीकार नहीं किए जाएंगे, जब तक उनकी उगाही नही की गई होगी। संतोषजनक ढंग से संचालित खातों में बाहरी/स्थानीय लिखतों की राशि समय-समय पर निर्धारित मूल्य तक तत्काल जमा कर दी जाएगी। सामान्य संग्रह और आउट ऑफ पॉकेट चार्जेस वसूल किए जाएंगे। इसके लिए निर्धारित वर्तमान सीमा और शुल्क बैंक की वेबसाइट और नोटिस बोर्ड पर उपलब्ध हैं। यह जानकारी शाखाओं से भी प्राप्त की जा सकती है। अतिदेय ब्याज बिना भुगतान वापस आए लिखतों पर वसूल किया जाएगा।

आहरण

खाताधारक बैंक के मानक निकासी फॉर्म का उपयोग करके व्यक्तिगत रूप से अपने सामान्य बचत बैंक खाते से पैसा निकाल सकता है। निकासी फॉर्म के साथ पासबुक होनी चाहिए। निकासी फॉर्म का उपयोग केवल स्वयं द्वारा भुगतान प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है। एटीएम सह डेबिट कार्ड का उपयोग एटीएम से नकद निकासी के लिए भी किया जा सकता है। सभी निकासी केवल राउंड रूपये में होनी चाहिए। निकासी फॉर्म के माध्यम से तीसरे पक्ष को भुगतान की अनुमति नहीं है। यदि खाताधारक व्यक्तिगत रूप से उसके खाते से नकदी निकालने के लिए उपस्थित होने में असमर्थ है तो भुगतान प्राप्त करने के लिए निर्धारित प्रारूप के अनुसार प्राधिकारी का एक पत्र,पासबुक के साथ एक अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से बैंक को भेजा जाना चाहिए । किसी खाते में अनुमत मुफ्त डेबिट प्रविष्टियों की अधिकतम संख्या, खाते में एएमबी या समय-समय पर बैंक द्वारा किए गए निर्धारण पर निर्भर करती है की है। इस सीमा से अधिक के लिए, निर्धारित शुल्क बैंक की वेबसाइट और संपर्क केंद्र पर उपलब्ध है। यह जानकारी शाखाओं से भी प्राप्त की जा सकती है। नकद आहरण, बीमार,वृद्ध या अक्षम खाताधारकों के खातों से किया जा सकता है जो बैंक में उपस्थित होने में असमर्थ है और / या निर्धारित औपचारिकताओं को पूरा करके नकदी निकालने के लिए अपने हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान लगाने में सक्षम नहीं है।

ओवरड्राफ्ट

बचत बैंक खातों में ओवरड्राफ्ट को केवल पूर्व व्यवस्था के साथ असाधारण परिस्थितियों में ही अनुमत है। खाते में शेष राशि से अधिक राशि के चेक बिना भुगतान वापस कर दिए जाएंगे। खाते में पर्याप्त शेष न होने पर बिना भुगतान वापस आने वाले चेक के लिए हर बार सेवा प्रभार वसूल किया जाएगा। इसके लिए निर्धारित शुल्क बैंक की वेबसाइट और संपर्क केंद्र पर उपलब्ध है। यह जानकारी शाखाओं से भी प्राप्त की जा सकती है।

अपरिचालित खाते

खाताधारकों को अपने खाते नियमित रूप से संचालित करने की सलाह दी जाती है। पिछले ऑपरेशन से 24 महीने की निर्धारित समयावधि के बाद संचालित नही किये गए खातों को अपरिचालित के रूप में वर्गीकृत कर दिया जाएगा। इस सम्बन्ध में मौजूदा निर्धारित शुल्क बैंक की वेबसाइट और संपर्क केंद्र पर उपलब्ध है। यह जानकारी शाखाओं से भी प्राप्त की जा सकती।

स्थायी अनुदेश

खाताधारक बैंक से अनुरोध कर सकता है कि वह समय-समय पर बीमा प्रीमियम भुगतान,सदस्यता शुल्क इत्यादि का भुगतान सेवा प्रभार वसूल कर उसके खाते से डेबिट करके करे। स्थायी निर्देश के लिए मौजूदा निर्धारित शुल्क बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध है। यह जानकारी शाखाओं से भी प्राप्त की जा सकती है।

ब्याज का भुगतान

आरबीआई के समय-समय पर लागू दिशानिर्देशों के अनुसार। ब्याज की गणना दैनिक उत्पाद के आधार पर की जाएगी । ब्याज को त्रैमासिक अंतराल पर खाते में जमा किया जाएगा। ब्याज का भुगतान तभी किया जाएगा यदि उसकी राशि रु 1/- या इससे अधिक है। पचास पैसे और उससे अधिक को अगले उच्चतर रूपये में पूर्णांकित कर दिया जाएगा और उससे कम होने पर नजरअंदाज किया जाएगा। यदि प्रवर्तन अधिकारीयों द्वारा खातों में परिचालन में रोक लगा दी जाती है तो भी बैंक नियमित रूप से खाते में ब्याज जमा करता रहेगा।

अंतरण (ट्रांसफर) और खाता बंद करना

खाताधारक(कों) के अनुरोध पर खातों को बैंक की शाखाओं के बीच स्थानांतरित किया जा सकता है। खाता बंद करने के अनुरोध में खाता बंद करने के कारण का उल्लेख होना चाहिए। ऐसे अनुरोध के साथ पासबुक होनी चाहिए। संयुक्त खाते, सभी संयुक्त हस्ताक्षरकर्ताओं के अनुरोध पर ही बंद किये जा सकते हैं। सेवा प्रभार निर्धारित दर पर वसूल किए जाएंगे यदि खाता खुलने के एक वर्ष तक 14 दिनों में बंद कर दिया जाता है। इसके लिए निर्धारित वर्तमान शुल्क बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध है। यह जानकारी शाखाओं से भी प्राप्त की जा सकती है। खाते ऑनलाइन भी अंतरित (ट्रांसफर) किए जा सकते है।

नियमों में परिवर्तन

बैंक इनमें से किसी भी नियम और सेवा शुल्क को बदलने,हटाने या जोड़ने का अधिकार सुरक्षित रखता है जिसके लिए ग्राहक को बैंक की वेबसाइट और/या शाखा नोटिस बोर्ड के माध्यम से विधिवत सूचित किया जाएगा।

मैं/ हम नामांकन पंजीकरण संख्या ..... की पावती स्वीकार करते है।

हस्ताक्षर

पावती

हम आपके द्वारा किए गए नामांकन के रसीद की पावती स्वीकार करते हैं जो निम्न के पक्ष में है :

नामिती का नाम :

संदर्भित खाता संख्या :

पंजीकरण संख्या :

तिथि:

आपका विश्वासी

मुहर सहित बैंक अधिकारी का हस्ताक्षर